राज्य पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति हेतु नियमों में सख्ती

प्रिलिम्स के लिये:

संघ लोक सेवा आयोग, राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिये समिति, प्रकाश सिंह मामला, 2006, पुलिस स्थापना बोर्ड

मेन्स के लिये:

भारत में पुलिस सुधार, पुलिस महानिदेशक चयन के लिये यूपीएससी के दिशानिर्देशों में प्रमुख संशोधन

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा राज्य पुलिस महानिदेशकों (DGP) **की नियुक्ति** हेतु विशिष्ट मानदंडों पर ज़ोर देते हुए संशोधित दिशानिर्देश जारी किये गए हैं।

डी.जी.पी चयन हेतु यूपीएससी दिशानिर्देशों में किये गए प्रमुख संशोधन:

- **चयन मानदंडों में स्पष्टता:**
  - **यूपीएससी** द्वारा पेश किये गए संशोधनों का उद्देश्य **राज्य पुलिस महानिदेशकों (DGP)** की चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले पहले से निहित **मानदंडों में पारदर्शिता लाना** है।
  - इन दिशानिर्देशों में अब **पक्षपात और अनुचित नियुक्तियों** को रोकने के लिये स्पष्ट रूप से मानदंड शामिल किये गए हैं।
- **सेवा कार्यकाल की आवश्यकता:**
  - दिशानिर्देशों में कहा गया है कि **केवल सेवानिवृत्ति से पूर्व न्यूनतम छह महीने की शेष सेवा** वाले अधिकारियों को राज्य के DGP का पद प्रदान करने के लिये विचार किया जाएगा।
    - इस कदम का **उद्देश्य सेवानिवृत्ति के अंतिम पड़ाव में "पसंदीदा अधिकारियों" को नियुक्त करके कार्यकाल बढ़ाने की प्रथा को हतोत्साहित करना** है, जिससे निष्पक्ष चयन को बढ़ावा दिया जा सके।
  - पूर्व में कई **राज्यों ने ऐसे DGP नियुक्त किये थे जो सेवानिवृत्त होने वाले थे** और कुछ ने यूपीएससी चयन प्रक्रिया से बचने के लिये कार्यवाहक DGP नियुक्त करने का सहारा लिया था।
- **संशोधित अनुभव मानदंड:**
  - इनके लिये पहले न्यूनतम **30 वर्ष की सेवा** निर्धारित की गई थी, लेकिन अब दिशानिर्देश **25 वर्ष के** अनुभव वाले अधिकारियों को DGP पद के लिये अर्हता प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। यह परिवर्तन योग्य उम्मीदवारों के दायरे को विस्तृत करता है।
- **शॉर्टलिस्ट किये गए अधिकारियों की सीमा:**
  - दिशानिर्देशों में DGP पद के लिये **तीन बार शॉर्टलिस्ट किये गए अधिकारियों** की सीमा निर्धारित की गई है, केवल विशिष्ट परिस्थितियों में अपवादों की अनुमति दी गई है।
  - यह **स्वैच्छिक भागीदारी** पर ज़ोर देता है, जिससे अधिकारियों को इस पद के लिये विचार किये जाने की इच्छा व्यक्त करने की आवश्यकता होती है।
- **विशेषज्ञता के निर्दिष्ट क्षेत्र:**
  - नए दिशानिर्देश **राज्य पुलिस विभाग का नेतृत्व करने के इच्छुक आईपीएस अधिकारी के लिये आवश्यक अनुभव के क्षेत्रों को परिभाषित** करते हैं।
  - इन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था, अपराध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा या खुफिया विंग जैसे**महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव शामिल है।**
  - विशिष्ट क्षेत्रों के साथ-साथ **दिशानिर्देश इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसे केंद्रीय निकायों में** प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता पर भी ज़ोर देते हैं।
    - इसका लक्ष्य DGP पद के लिये आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के बीच व्यापक और विविध अनुभव सुनिश्चित करना है।

- **मूल्यांकन पर पैनल समिति की सीमाएँ:**
  - राज्य के **DGP** की नियुक्ति के लिये UPSC द्वारा गठित पैनल समिति राज्य के **DGP पद के लिये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर IPS अधिकारियों का आकलन करने से परहेज़ करेगी।**

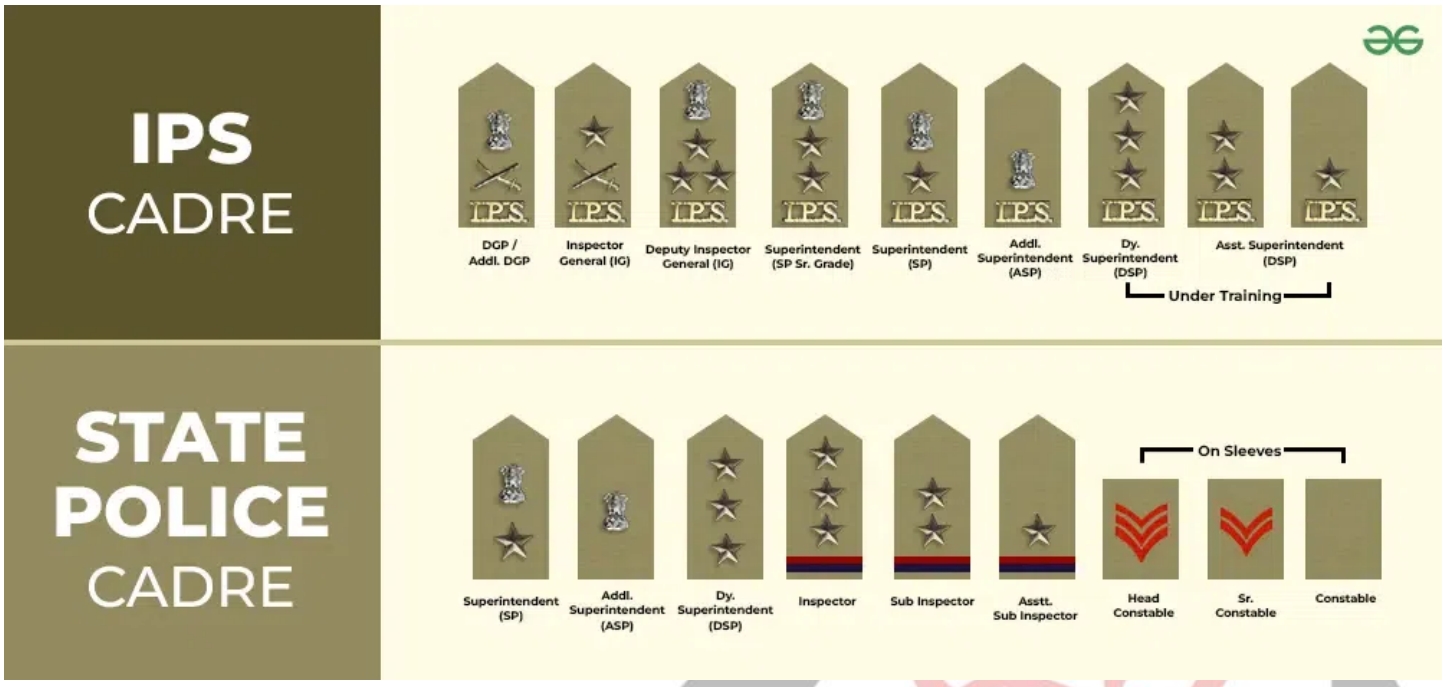

पुलिस सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:

- **प्रकाश सिंह वाद, 2006** में सर्वोच्च न्यायालय ने **राजनीतिकरण, जवाबदेही की कमी और समग्र** पुलिस प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली प्रणालीगत कमज़ोरियों जैसे व्यापक मुद्दों को स्वीकार करते हुए [भारत में पुलिस सुधारों](#) को आगे बढ़ाने के लिये सात दिशानिर्देश जारी किये।
- इन निर्देशों में शामिल हैं:
  - पुलिस पर अनुचित सरकारी प्रभाव को रोकने, नीति दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करने और राज्य पुलिस के प्रदर्शन का आकलन करने के उद्देश्यों के साथ एक **राज्य सुरक्षा आयोग (SSC)** की स्थापना करना।
  - **न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल** सुनिश्चित करते हुए **पारदर्शी, योग्यता-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से DGP की नियुक्ति सुनिश्चित करना।**
    - **राज्य के DGP की नियुक्ति हेतु समिति:**
      - राज्य के DGP की नियुक्ति करने वाली समिति की अध्यक्षता **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष** करते हैं और इसमें **केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के मुख्य सचिव एवं DGP** तथा गृह मंत्रालय द्वारा नामित [केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों](#) के प्रमुखों में से एक शामिल होता है।
    - **चयन की प्रक्रिया:**
      - संबंधित राज्य सरकारों को मौजूदा DGP के सेवानिवृत्त होने से तीन महीने पूर्व **संभावितों के नाम यूपीएससी को भेजने** होंगे।
      - यूपीएससी DGP बनने लायक तीन अधिकारियों का पैनल तैयार कर वापस भेजेगी।
      - **राज्य बदले में यूपीएससी द्वारा शॉर्टलिस्ट किये गए अधिकारियों में से एक को नियुक्त करेगा।**
  - ज़िला अधीक्षकों और स्टेशन हाउस अधिकारियों सहित **अन्य परिचालन पुलिस अधिकारियों के लिये न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल** सुनिश्चित किया जाएगा।
  - पुलिस बल के भीतर **जाँच और कानून प्रवर्तन कर्त्तव्यों का पृथक्करण** लागू किया जाएगा।
  - पुलिस उपाधीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवा-संबंधित मामलों को संभालने के लिये एक [पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB)](#) का गठन किया जाएगा, साथ ही उच्च रैंकिंग वाले स्थानांतरणों के लिये सिफारिशें भी की जाएँगी।
  - गंभीर कदाचार के लिये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों की जाँच के लिये एक **राज्य-स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA)** की स्थापना की जाएगी और महत्त्वपूर्ण कदाचार में शामिल निचले-रैंकिंग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिये ज़िला-स्तरीय PCA की स्थापना भी की जाएगी।
  - केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPO) प्रमुखों के चयन और नियुक्ति हेतु एक पैनल बनाने के लिये संघ स्तर पर एक **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (NSC)** का गठन किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित हो।

Police Reforms in India

CONSTITUTIONAL STATUS

- Police and Public Order: State subjects (7th Schedule)

NEED FOR REFORM

- Colonial Law
- Custodial Death
- Lack of Accountability
- Political Interference
- Poor Gender Sensitivity
- Communal/Caste Bias
- No Anti-Torture Law

RELATED DATA

- Police-People Ratio: 153 police/100,000 people (Global benchmark: 222 police /100,000 people)
- Custodial Deaths: 175 in 2021-2022 (as per MHA)
- Women's Share: 10.5% of entire force (India Justice Report 2021)
- Infrastructure: 1 in 3 police stations is equipped with CCTV (India Justice Report 2021)

IMPORTANT COMMITTEES/COMMISSION

RELATED INITIATIVES

- SMART Policing (pan-India)
- Automated Multimodal Biometric Identification System (AMBIS) (Maharashtra)
- Real Time Visitor Monitoring System (uses AI and blockchain) (Andhra Pradesh)
- CyberDome (Tech R&D Centre) (Kerala)

CHALLENGES WITH POLICING

- Low Police-Population Ratio
- Political Superimposition
- Unsatisfactory Police-Public Relations
- Infra Deficit
- Corruption
- Understaffed/Overburdened

WAY FORWARD

- ↑Police Budget, Resources
- ↑Recruitment Process
- Implement Measures to Reduce Corruption
- ↑Skills of Policemen
- Better Representation (Women, Minorities)

Drishti IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/tightening-regulations-for-appointing-state-dgps